सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

अग्रहायण 19, शुक्रवार, शाके 1943-दिसम्बर 10, 2021
Agrahayana 19, Friday , Saka 1943- December 10, 2021

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 10, 2021

संख्या प.2(46)नविवि/कोटा/2021 :-यह कि नगर विकास न्यास, कोटा को चम्बल रिवर फ्रंट के अन्तर्गत Garden work Nayapura puliya lagoon development at Rampura and other works हेतु ग्राम लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की नगर निगम क्षेत्र में स्थित व्यवसायिक भूमि अधिग्रहण करने के संबंध में ग्राम लाडपुरा तहसील लाडपुरा तहसील कोटा की नगर निगम क्षेत्र में स्थित 9226 वर्गफुट अवाप्त किए जाने हेतु (विवरण संलग्न) भूमि अवाप्ति की जनहित एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। सचिव, नगर विकास न्यास के द्वारा उक्त भूमि अवाप्ति की मांग जिला कलक्टर, कोटा को पत्र क्रमांक एफ-15/भू.आ./2021/355/दिनांक 01.10.2021 द्वारा भिजवायी जा चुकी है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 04 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इस प्रकरण में सामाजिक समाघात अध्ययन (Social Impact Assessment Study) का निर्धारण कार्य निष्पादन करने का निर्णय लिया गया है। सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ-15/भू.आ./2021/394 दिनांक 15.11.2021 द्वारा प्रस्तावित भूमि चम्बल रिवर फ्रन्ट के अन्तर्गत Garden work Nayapura puliya lagoon development at Rampura and other works हेतु ग्राम लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की नगर निगम क्षेत्र में स्थित व्यवसायिक भूमि अधिग्रहण करने के संबंध में अवाप्ति का विवरण तथा अवाप्ति की जाने वाली भूमि का विवरण प्राप्त हो चुका है। सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा के पत्र दिनांक 15.11.2021 से प्राप्त उक्त अवाप्ति की जाने वाली भूमि के संबंध में सामाजिक समाघात निर्धारण कार्य करवाने हेतु जिला कलक्टर कोटा को एतद् द्वारा प्राधिकारी अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर के स्वयं के स्तर से अधिनियम के विधिक प्रावधानान्तर्गत या राजस्व विभाग द्वारा

उपलब्ध कराई गई सूची में से किसी एक से उक्त कार्य करवा सकते है। राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के साथ संलग्न प्रारूप 2 के भाग के "ए" में अंकित टर्म ऑफ रेफरेंस इस प्रकरण में मानी जावेगी। अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत निर्धारित समय में उक्त कार्य सम्पादित करे साथ ही उक्त नियमों के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप 3 में रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,
मनीष गोयल,
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।